



# जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा-841302, बिहार (भारत)

**JAI PRAKASH UNIVERSITY**

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841302, BIHAR (INDIA)

WWW.jpv.ac.in

Letter No 332/DSW

Dated: 16.05.2026

## नामांकन सूचना

जय प्रकाश विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत सभी अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालयों में सी0बी0सी0एस0 आधारित चार वर्षीय स्नातक सत्र (2026-30), शैक्षणिक वर्ष (2026-27) में ऑनलाईन नामांकन प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के द्वारा दिनांक 16.05.2026 से प्रारंभ है। ऑनलाईन नामांकन हेतु लिंक जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा की वेबसाइट [www.jpv.ac.in](http://www.jpv.ac.in) पर उपलब्ध है।

क्र.सं.	नामांकन विवरणी	दिनांक
1	ऑनलाईन प्रपत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	16.05.2026
2	ऑनलाईन प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि	10.06.2026
3	प्रथम मेधा सूची प्रकाशित करने की तिथि	22.06.2026
4	प्रथम मेधा सूची के आधार पर नामांकन प्रारंभ करने की तिथि	23.06.2026

सी0बी0सी0एस0 आधारित चार वर्षीय स्नातक सत्र (2026-30) में नामांकन हेतु सभी वर्ग के विद्यार्थियों के आवेदन शुल्क 500/-रुपये (पाँच सौ रुपये मात्र) का भुगतान केवल ऑनलाईन के माध्यम से होगा। एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा। महाविद्यालयों में नामांकन शुल्क का भुगतान राज्य सरकार के नियमानुसार होगा।

पात्रता मानदंड :

- स्नातक विज्ञान** : वे अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा आईएससी या +2 विज्ञान स्ट्रीम या अन्य अनुमोदित राष्ट्रीय/राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।।
- स्नातक वाणिज्य** : ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा इंटरमीडिएट कला/इंटरमीडिएट विज्ञान/इंटरमीडिएट वाणिज्य या +2 उत्तीर्ण की हो या अन्य अनुमोदित राष्ट्रीय/राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- स्नातक कला** : ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा इंटरमीडिएट कला/इंटरमीडिएट विज्ञान/इंटरमीडिएट वाणिज्य +2 उत्तीर्ण की हो या अन्य अनुमोदित राष्ट्रीय/राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- आवेदक/अभ्यर्थी एक आवेदन शुल्क में अधिकतम तीन प्रोग्राम (विषय) का चयन कर सकते हैं। पहले प्रोग्राम के आवेदन शुल्क भुगतान के पश्चात् अभ्यर्थी उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अन्य दो प्रोग्राम का चयन कर सकते हैं इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। प्रोग्राम की प्राथमिकता जिले का चयन और प्रति प्रोग्राम अधिकतम पाँच कॉलेजों का चयन कर सकते हैं।**

आरक्षण नीति :

- ◆ स्नातक कार्यक्रम में सीटों का आरक्षण बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- ◆ यदि इस कार्यक्रम में प्रवेश के समय किसी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज फर्जी पाया जाता है, तो उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी, और उम्मीदवार द्वारा जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- ◆ किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश से वंचित किया जा सकता है या विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में आवश्यक होने पर उसका नाम विश्वविद्यालय की सूची से हटा दिया जाएगा।

**चयन मानदंड** : फॉर्म भरने के दौरान स्नातक प्रवेश के लिए चुने गए विषय की इंटरमीडिएट में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, साथ ही जिलावार महाविद्यालयों का विकल्प और आवेदक की आरक्षित वर्ग की प्राथमिकता दी जाएगी।



(प्रो. (डॉ.) राणा विक्रम सिंह)  
अध्यक्ष, छात्र-कल्याण